महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज संस्थान - म.प्र.

# पहल

ई–समाचार पत्र (मासिक) – छप्पनवां संस्करण (माह जून, 2020)

## ➔ ''पहल'' के इस संस्करण में .....

1. अपनी बात ....
2. माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ''श्रम सिद्धि'' अभियान की शुरूआत एवं सरपंच, श्रमिकों से संवाद
3. कोरोना ने बदली हमारी जीवनशैली
4. सर्टीफाईड मास्टर रिसोर्स परसन की सूची एनआईआरडीपीआर, हैदराबाद की बेवसाईट पर प्रदर्शित
5. संकटमोचक बनी एसएचजी की महिलाएं
6. कोरोना में ग्रा.पं. दोत्रिया के प्रयास
7. सफलता की कहानी
8. कोरोना हेतु ग्रा.पं. अलीपुरा के प्रयास
9. लॉकडाउन में मनरेगा के कार्य
10. कोविड–19 से युद्ध के कानूनी प्रावधान
11. सीएम रिलीफ फंड में करें सहयोग
12. सफलता की कहानी – ग्रा.पं. भरभडिया
13. कोरोना के समय एमआरपी की भूमिका
14. ग्रा.पं. भजियादण्ड की कोरोना लड़ाई
15. ई–शिक्षा
16. मान. केन्द्रीय मंत्री द्वारा GeM पोर्टल पर एनआरएलएम के अंतर्गत ''सरस संग्रह'' का शुभारंभ

**प्रकाशन समिति**

**संरक्षक एवं सलाहकार**
श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव (IAS)
अपर मुख्य सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

**प्रधान संपादक**
श्री संजय कुमार सराफ,
संचालक,
महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास
एवं पंचायतराज संस्थान–म.प्र., जबलपुर

**सह संपादक**
श्रीमती सुनीता चौबे,
उप संचालक, म.गां.रा.ग्रा.वि.पं.रा.स.–म.प्र., जबलपुर

ई–न्यूज के सम्बन्ध में अपने फीडबैक एवं आलेख छपवाने हेतु कृपया इस पते पर मेल करें–**mgsirdpahal@gmail.com**
**Our official Website : www.mgsird.org, Phone : 0761-2681450 Fax : 761-2681870**
**Designed & Developed By : Mr. Jay Shrivastava & Mr. Ashish Dubey, Programmer, MGSIRD&PR, JABALPUR**

# अपनी बात...

''पहल'' मासिक ई–न्यूज लेटर का छप्पनवां संस्करण का प्रकाशन किया जा रहा है, जो वर्ष 2020 का छठवां मासिक संस्करण है।

भारत वर्ष में तीसरे चरण के लॉक डाउन की समाप्ति के पश्चात चतुर्थ चरण का लॉक डाउन कई क्षेत्रों में छूट के साथ लागू किया गया है। जिसके तहत शासकीय कार्यालयों में 50 प्रतिशत उपस्थित का पालन किया जाना है।

माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से दिनांक 22 मई 2020 को प्रदेश में ''श्रम सिद्धि'' अभियान की शुरूआत एवं ग्राम पंचायत सरपंचों एवं श्रमिकों से सीधे संवाद किया गया। इसे **''माननीय मुख्यमंत्री द्वारा वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से ''श्रम सिद्धि'' अभियान शुरूआत एवं ग्राम पंचायत सरपंच, श्रमिकों से संवाद''** के समाचार आलेख के रूप में इस संस्करण में शामिल किया गया है।

साथ ही दिनांक 4 मई, 2020 को माननीय श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, केन्द्रीय मंत्री, भारत सरकार, ग्रामीण विकास, पंचायतीराज व कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा GeM पोर्टल पर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह के उत्पादों के लिए विशेष बाजार स्थान ''सरस संग्रह'' का शुभारंभ किया गया, इसे भी **''माननीय केन्द्रीय मंत्री, ग्रामीण विकास, पंचायतीराज व कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार द्वारा गवर्नमेंट ई–मार्केट प्लेस (GeM) पोर्टल पर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत ''सरस संग्रह'' का शुभारंभ''** समाचार आलेख के रूप में इस संस्करण में शामिल किया गया है।

इसके अलावा **''कोरोना ने बदली हमारी जीवनशैली''**, **''प्रदेश के सर्टीफाईड मास्टर रिसोर्स परसन की सूची एनआईआरडीपीआर, हैदराबाद की बेवसाईट पर प्रदर्शित''**, **''संकट के समय संकटमोचक बनी स्व सहायता समूह की महिलाएं''**, **''कोरोना महामारी में ग्राम पंचायत दोत्रिया द्वारा किए गए प्रयास''**, **''सफलता की कहानी''**, **''ग्राम पंचायत अलीपुरा में कोरोना कोविड–19 के तहत किये गये प्रयास''**, **''लॉकडाउन में मनरेगा के कार्य''**, **''कोविड–19 से युद्ध के कानूनी प्रावधान''**, **''मानवता हित में सीएम रिलीफ फंड में करें सहयोग''**, **''सफलता की कहानी – ग्राम पंचायत–भरभडिया, जनपद पंचायत एवं जिला नीमच''**, **''कोरोना वायरस के चलते मास्टर रिसोर्स परसन की सक्रिय भूमिका''**, **''ग्राम पंचायत भजियादण्ड का करोना की लड़ाई में योगदान''** एवं **''ई–शिक्षा''**
आदि आलेखों को शामिल किया गया है।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि 'पहल' का यह संस्करण रूचिकर एवं उपयोगी एवं आवश्यक जानकारी प्रदान करने वाला रहेगा।

**शुभकामनाओं सहित।**

**संजय कुमार सराफ**
**संचालक**

# माननीय मुख्यमंत्री द्वारा वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से ''श्रम सिद्धि'' अभियान शुरूआत एवं ग्राम पंचायत सरपंच, श्रमिकों से संवाद

माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा दिनांक 22 मई 2020 को प्रदेश की सभी पंचायतों में **''श्रम सिद्धि''** अभियान की शुरूआत वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से की गयी। साथ ही उन्होंने प्रदेश के ग्राम पंचायत सरपंचों एवं उस ग्राम पंचायत में कार्यरत मजदूरों से उनके क्षेत्र में चल रहे विभिन्न कार्यों के संबंध में भी सीधे संवाद किया।

**गांव को कोरोना महामारी से सुरक्षित रखें** –

माननीय मुख्यमंत्री द्वारा चर्चा के दौरान पंचायतों को हिदायत दी कि वे अपने गांवों को कोरोना से सुरक्षित रखें। इसके लिए वे आवश्यक सावधानियां बरतें जैसे – ग्राम पंचायत में सभी मास्क लगाएं, एक–दूसरे के बीच कम से कम दो गज की दूरी रखें, बार–बार हाथ धोयें, स्वच्छता रखें तथा कहीं भी भीड़ न लगायें। बाहर से आए मजदूरों के साथ मानवीयता का व्यवहार करें तथा उनका अनिवार्य रूप से स्वास्थ्य परीक्षण हो तथा 14 दिन के लिए उन्हें क्वारेंटाइन में रखा जाए। साथ ही समय–समय पर शासन द्वारा जारी दिशा निर्देर्शों का भी पालन करायें। यदि गांव में किसी भी व्यक्ति को इस बीमारी के कोई लक्षण नजर आते हैं तो ऐसी स्थिति में प्रशासन और डॉक्टरों की मदद ली जाए। साथ ही उन्होंने प्रदेश में कोई भी व्यक्ति चाहे वह किसी भी प्रदेश का हो, भूखा न सोये तथा हर व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुरूप कार्य दिलाये जाने का भी आश्वासन दिया।

**''श्रम सिद्धि'' अभियान के तहत सभी को काम** –

माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ''श्रम सिद्धि'' अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में घर–घर सर्वे

कर ऐसे मजदूर जिनके मनरेगा में जॉबकार्ड नहीं है, उनके जॉबकार्ड बनवाकर, प्रत्येक मजदूर को काम दिलाया जाएगा। अकुशल मजदूरों को मनरेगा में कार्य दिलाया जाएगा तथा कुशल मजदूरों को उनकी योग्यता के अनुसार काम दिया जाएगा। इस मौके पर श्री मनोज श्रीवास्तव, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भी उपस्थित थे।

**जरूरतमंदों को निःशुल्क राशन –**

उन्होंने शासन द्वारा निशुःल्क राशन के संबंध में बताया कि प्रत्येक ग्राम में पूर्व में 3 माह का उचित मूल्य राशन प्रदाय किया जा चुका है, और अब और दो माह का निःशुल्क राशन प्रदान किया जा रहा है। यह राशन, राशन कार्डधारियों के साथ–साथ जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उन्होंने भी प्रदाय किया जावेगा। ग्राम पंचायत के सरपंच इस बात को सुनिश्चित करले कि सभी पात्र एवं जरूरतमंद व्यक्तियों तक राशन पहुंच जाए।

**''सरपंच'' शब्द से आशय**

**गाँवों के विकास में सरपंच महत्वपूर्ण भूमिका हैं। सरपंच शब्द में ''स'' का अर्थ ''समानदर्शी'', ''र'' का अर्थ ''रत्न'', ''प'' का अर्थ ''परिश्रमी'' तथा ''च'' का अर्थ ''चौकीदार'' है। इस प्रकार ग्राम पंचायत सरपंच गांव में समानदर्शी, रत्न के समान, परिश्रमी तथा ग्राम की सुरक्षा में चौकीदार की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।**

**श्री शिवराज सिंह चौहान**
**मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन**

**सहायता राशि का हितग्राहियों के खाते में सीधा अंतरण –**

माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोरोना महामारी के चलते शासन द्वारा निरंतर प्रदेश के मजदूरों, किसानों, गरीबों की लगातार सहायता की गई है और आगे भी लगातार की जाती रहेगी। मजदूरों के खातों में सीधे राशि, पढ़ने वाले बालक बालिकाओं को छात्रवृत्ति राशि, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, हितग्राहियों को दो माह की अग्रिम पेंशन, सहरिया, बैगा, भारिया जनजाति की बहनों को सहायता राशि, प्रधानमंत्री आवास योजना हितग्राहियों, मध्यान्ह भोजन के रसाईयों को सीधे उनके खातों में राशि अंतरित की गई। किसानों को फसल बीमा राशि, शून्य प्रतिशत ब्याज पर ऋण सुविधा तथा गेहूँ उपार्जन राशि उनके खातों में भेजी गई है।

**मनरेगा में लोगों को गत वर्ष से दुगुना रोजगार–**

श्री मनोज श्रीवास्तव, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने बताया कि प्रदेश में कुल 22 हजार 809 ग्राम पंचायतों हैं, जिनमें से 22 हजार 695 ग्राम पंचायतों में मनरेगा अंतर्गत चल रहे कार्यों हेतु अब तक रू. 21,01,600 (रूपये इक्कीस लाख एक हजार छैः सौ) मजदूरों को रोजगार दिया गया है, जो कि गत वर्ष की तुलना में लगभग दुगुना है।

**प्रवासी मजदूरों को संबल योजना का लाभ –**

शासन द्वारा ''संबल योजना'' को पुनः प्रारंभ किया है। उन्होंने बताया कि प्रवासी मजदूरों को इस

योजना से जोड़ा जा रहा है। इस योजना के तहत गरीबों के बच्चों की स्कूल फीस, बच्चे के जन्म के समय एवं जन्म के पश्चात माँ को 16 हजार रूपए की राशि, बच्ची के विवाह की व्यवस्था, सामान्य मृत्यु पर 2 लाख, दुर्घटना में मृत्यु पर 4 लाख तथा अंतिम संस्कार के लिए 5 हजार रूपए प्रदाय किये जाते हैं।

**ग्राम पंचायतों को पुरूस्कार –**

उन्होंने बताया कि शासन द्वारा सरपंचों को अपने क्षेत्रों में गाँव की आवश्यकता के अनुरूप अच्छा एवं गुणवत्तायुक्त कार्य करने वाली ग्राम पंचायतों को 2 लाख रूपए का प्रथम, 1 लाख रूपए का द्वितीय तथा 50 हजार रूपए का तृतीय पुरस्कार प्रदान किया जाएगा।

**उत्कृष्ट ग्राम पंचायत का पुरूस्कार निम्न पांच महत्वपूर्ण आधार पर तय किया जावेगा –**

1. सबसे ज्यादा जॉब कार्ड बनवाने।
2. सबसे ज्यादा मजदूरों को काम पर लगवाने,।
3. सबसे ज्यादा कार्य प्रारंभ करवाने।
4. सबसे ज्यादा स्थाई महत्व की संरचनाएं बनवाने।
5. श्रेष्ठ गुणवत्ता के कार्यों के लिये दिए जाएंगे।

**ग्राम पंचायत सरपंचों एवं श्रमिकों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद –**

माननीय मुख्यमंत्री ने अशोकनगर की ग्राम पंचायत बाबूपुर के सरपंच श्री रामपाल यादव, श्रमिक श्री संग्राम सिंह अहिरवार, पिपरई ग्राम पंचायत की सरपंच श्रीमती रोमा राय, श्योपुर जिले की ग्राम पंचायत ढ़ोंढपुर की सरपंच श्रीमती लक्ष्मी जाट एवं श्रमिक श्री लीलाराम जी, आगर–मालवा जिले की ग्राम पंचायत वीजानगरी के सरपंच प्रतिनिधि श्री मदन सिंह एवं श्रमिक श्री पप्पू रजराम, पंचलाना ग्राम पंचायत के सरपंच श्री पवन पाटीदार, भिण्ड जिले की असोखर ग्राम पंचायत के सरंपच श्री सुवेन्द्र नरवरिया एवं श्रमिक श्री मनोज यादव, शिवपुरी जिले की खैराई ग्राम पंचायत के सरपंच श्री चंदन सिंह यादव तथा श्रमिक श्री रंजीत आदिवासी, बगैधरी ग्राम पंचायत की सरपंच श्रीमती प्रेमबाई दुबे तथा कृष्णगंज की सरपंच श्रीमती रामकली धानौ से वीडियों कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत की। उन्होंने सरपंचों एवं श्रमिकों से शासन के साथ मिलकर काम करने तथा प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने हेतु कहा।

**जय कुमार श्रीवास्तव**
**संकाय सदस्य**

# कोरोना ने बदली हमारी जीवनशैली

कोरोना वायरस के कारण हमारी आदतें और हमारी दिनचर्या काफी हद तक बदल गई है। हमारी जीवनशैली मे हो रहे इन बदलावों को हम हर दिन अनुभव भी कर रहे है। इतिहास की कई बडी आपदाओं के बाद सामाजिक, आर्थिक समझ और जीवनशैली में बदलाव देखे गए है। कोरोना संकट के दौर में भी देश दुनिया में सामजिक जीवन काफी हद तक प्रभावित हो रहा है। हमारे खानपान और तौर तरीके से लेकर हमारी कार्यशैली बदल रही है। आने वाले समय मे इन बदलावो का बडा असर पडने वाला है। हो सकता है कि इस दौरान हमारी बदली आदतें हमारे जीवन का स्थायी हिस्सा बन जाए, किस तरह कोरोना ने हमारी जीवनशैली बदल दी है :–

1. **नमस्ते करिए कोरोना से बचिए** – भारतीय संस्कृति मे हाथ जोडकर "नमस्ते" से अभिवादन करने की परंपरा रही है। क्योंकि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति मे होने वाली इस बीमारी में हाथों के जरिए संक्रमण फैलने का सबसे ज्यादा खतरा रहता है। सोशल मीडिया मे **#DontShakeHands और #Namaste** जैसे हैशटेग वायरल हुए और इसके साथ ही भारत में भी हैन्डशैक करने वाले लोग अपनी पुरानी संस्कृति मे लौटे, जबकि पूरी दुनिया ने हाथ मिलाने की जगह नमस्ते करने की भारतीय संस्कृति अपना ली है।

2. **साफ सफाई बरतने की आदत** :– कोरोना संक्रमण के डर से हमारी साफ सफाई की आदतों मे काफी सुधार आया है। विश्व

स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना से बचने के लिए दिन भर समय समय पर हाथ धोते रहने की सलाह दी, हाथों को 20 सेंकड तक साबुन व पानी से धोना जरूरी है। यह हमारी आदत बन गई। इंटरनेट पर हाथ धोने के सही तरीके खूब सर्च हुए। पास रखे जाने वाले अन्य जरूरी समानो में एल्कोहलयुक्त सैनेटाइजर भी भामिल हुआ। घर के सामानो से लेकर छूने वाली सतहों के सैनेटाइजेशन के प्रति हम जागरूक हुए।

3. **वर्क फ्राम होम संस्कृति** :– कोरोना संकट के दौरान एक बडा बदलाव ऑफिस कल्चर

यानि कार्यालयी संस्कृति मे भी हुआ। संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए आईटी से लेकर मार्केटिंग सेक्टर ने भी घर से काम करने की सुविधा दी है। लोग ऑफिस जाने की बजाय घर से काम कर रहे है। आर्किटेक्ट विशेषज्ञों की माने तो आने वाले समय मे हमारे कार्य स्थलों की संरचना भी बदल सकती है। सहकर्मियों के बीच भाारिरिक दूरी बढाई जा सकती है। फर्नीचर से लेकर आधारभूत संरचना में भी बदलाव देखा जा सकता है।

4. **पहनावे एवं रहन–सहन मे बदलाव** :– कोरोना के कारण देश दुनिया मे घोशित लाकडाउन के दौरान हमारे पहनावे और रहन–सहन में बडा बदलाव हुआ है। ऑफिस, बैंक या अन्य कार्य स्थल जाना नही है, इसलिए शर्ट ,पेन्ट, जीन्स, कोट या अन्य किसी प्रोफेशनल आउटफिट की जगह लोग टी–शर्ट , पायजामा जैसे कंफर्ट कपडे पहन रहे है। कामकाजी महिलाएँ भी घर मे साडी, कुर्ती वगैरह या किसी अन्य प्रोफेशनल आउटफिट की जगह अन्य कंफर्टेबल यानि आरामदेह घरेलू कपडें पहन रही है। वार्डरोड कलेक्शन से लेकर हमारे फैशन और स्टाइल मे भी लोग प्रयोग करते नजर आ रहे है।

5. **सीखने की कला** :– इन दिनों लोगो मे नई–नई चीजें सीखने की ललक बढी है इंटरनेट पर तो ऑनलाइन कोर्सो की भरमार है। लोग अपने शौक को विस्तार दे रहे है। गाना गाने से लेकर गिटार बजाने तक, चित्रकारी से लेकर अदाकारी तक फोटोग्राफी से लेकर बागवानी तक लोग काफी कुछ सीख रहे है। सोशल मीडिया पर यदि एक चक्कर लगा कर आएगे तो हर तीसरा व्यक्ति अपना कौ ाल दिखाता बढाता नजर आएगा। इस लॉकडाउन पीरियड का उपयोग अपनी कला और कौशल को निखारने मे लगा रहे है। ये चीजें भविश्य मे काम ही आएगी, कम से कम नुकसान तो नही देगीं।

6. **कितने डिजीटल फ्रेंडली हुए हम** :– इस डिजिटल युग मे हम काफी हद तक अपडेट हुए है। खासकर इस लॉकडाउन पीरियड में जबकि रिर्जव बैंक भी नगद की जगह डिजीटल लेनदेन की अपील कर रहा है,

लोगो मे यह संस्कृति बढी है । लोग नगद लेन–देन की जगह भीम ऐप पेटीएम, फोनपे, और गूगल पे जैसे मोबाइल प्लेटफार्मो के जरिए लेनदेन कर रहे है। शॉपिंग आनलाइन हो रही है, बैंकिग आनलाइन ,पढाई लिखाई से लेकर ऑफिस के काम तक आन लाइन हो रहे है। और बिल भी आन लाइन भरे जा रहे है। यहॉ तक कि इंटरनेट पर ऑनलाइन आरती की सर्चिग का बढोत्तरी बताती है कि

लोगो द्वारा भगवान के दर्शन और उनकी प्रार्थना करने का तरीका भी ऑनलाइन हो चला है।

7. **निःशुल्क सलाह एवं सुझाव** :– लॉकडाउन के दौरान खानपान से लेकर फिटनेस, स्वास्थ्य, पढाई–लिखाई, खेल, इन–हाउस एक्टीविटी वगैरह को लेकर हम बहुत सारे सवालों के जबाब ढूँढ रहे है। हमारी इसी क्युरिसिटी यानि जिज्ञासाओं ने इंटरनेट पर

टिप्स , सलाह और सुझावो की भरमार ला दी है। फेसबुक, व्हाट्सअप से लेकर यूट्यूब पर आपके मन में उठ रहे हर तरह के जबाब मौजूद है। इस लॉकडाउन पीरियड में ये सारा ज्ञान मुफ्त मे बांटा जा रहा है यानि निःशुल्क। आने वाले समय मे यह बदलाव स्थायी हो सकता है। हमारी निर्भरता ऐसे प्लेटफार्मो पर बढ सकती है।

8. **पुराने दौर की यादों मे गोते लगाता मनः**– बाहर घूम फिर न पाने और दोस्त यारो से न मिल पाने की बंदिशो के बीच लोग पुराने दौर को याद करते हुए समय बिता रहे

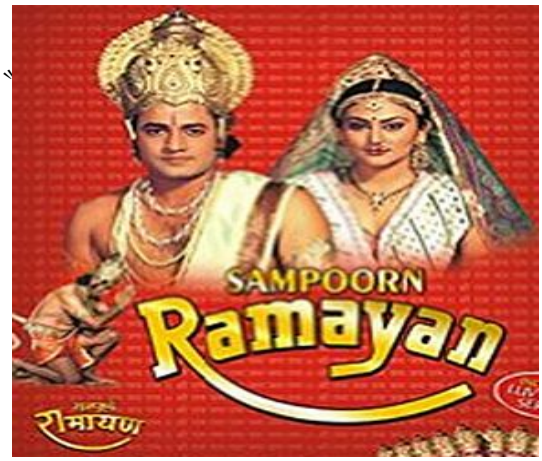


मे पुराने एलबम पलटना, मोबाइल या लेपटाप मे पुरानी तस्वीरें देखते हुए मुस्कुराना अच्छा लग रहा है और फिर इन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर भोयर करने और उन पर चर्चा कर लोग मन बहला रहे है। इधर दूरदर्शन पर रामायण, महाभारत, श्रीकृश्णा शक्तिमान,

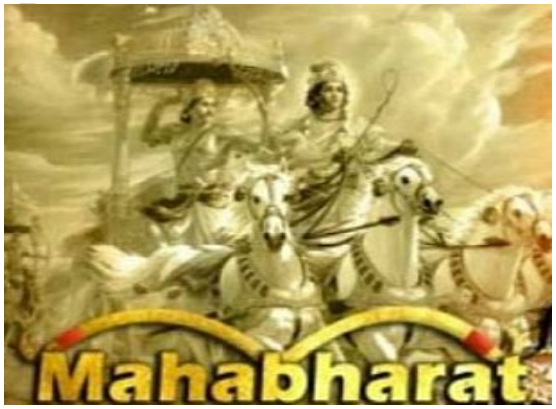


जैसे धारावाहिकों के जरिए हमारा मनोरंजन हो रहा है तो दूसरी और सोशल मीडिया पर **"10 साल पहले"** , **"तब और अब"** जैसे **"फोटो चैलेन्ज"** चल रहे है। इन क्रियाकलापों के जरिए हमारा यात्री मन पुराने दौर की यात्रा कर रहा है।

**नीलेश कुमार राय,**
**संकाय सदस्य**

# प्रदेश के सर्टीफाईड मास्टर रिसोर्स परसन की सूची एनआईआरडीपीआर, हैदराबाद की बेवसाईट www.nird.org.in पर प्रदर्शित

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद के सहयोग से मध्यप्रदेश में Transforming India Through Strengthening PRIs – Orientation & Assessment Programme अन्तर्गत वर्ष 2017–18 में 03 एवं वर्ष 2019–20 में 23 इस प्रकार से कुल 26 मास्टर रिसोर्स परसन सर्टीफिकेशन प्रोग्राम आयोजित किये गये।

यह सटीफिकेशन कार्यक्रम सरकारी क्षेत्र में अपनी तरह का पहला कार्यक्रम है जिसमें राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर), हैदराबाद एवं महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज संस्थान–म.प्र. (एमजीएसआईआरडी), जबलपुर द्वारा प्रदेश में जनपद पंचायत स्तर के सर्टीफाईड मास्टर रिसोर्स परसन (एमआरपी) का समूह तैयार किया जा रहा है।

प्रदेश में 52 जिलों की 313 जनपद पंचायतों में प्रत्येक जनपद पंचायत में कम से कम दो सर्टीफाईड मास्टर रिसोर्स परसन की उपलब्धता सुनिश्चत करने हेतु अभिनव प्रयास के प्रयास के रूप में क्रियान्वित 26 सर्टीफिकेशन प्रोग्राम में वर्ष 2017–18 में 104 एवं वर्ष 2019–20 में 1101 कुल 1205 प्रतिभागी शामिल हुये। जिनमें से 782 प्रतिभागी ''ए'' एवं ''बी'' श्रेणी प्राप्त कर सर्टीफाईड हो गये हैं।

इन सर्टीफाईड मास्टर रिसोर्स परसन की बैचवार सूची राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर), हैदराबाद की बेवसाईट : www.nird.org.in पर प्रदर्शित कर दी गई है। इस बेवसाईट को ओपन करके इसमें दिये गये "Certified Master Resource Persons on Panchayati Raj & Rural Development" बाक्स को क्लिक करेंगे। इसके बाद सभी राज्यों के नाम दिखाई देने लगेंगे। मध्यप्रदेश के नाम पर क्लिक करके बैचवार सूची देखी जा सकती है।

**डॉ. संजय कुमार राजपूत,**
**संकाय सदस्य**

# संकट के समय संकटमोचक बनी स्व सहायता समूह की महिलाएं

मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन विकासखंड बिछुआ, जिला छिंदवाड़ा की स्व सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा नरेगा में कार्य करने वाले मजदूरों के लिए मास्क निर्माण का कार्य महिला स्व सहायता समूह द्वारा इको फ्रेंडली एवं री यूजुअल मास्क निर्माण किया जा रहा है। बिछुआ विकासखंड के खमारपानी धनेगांव मोया तुमड़ागाड़ी पिपरियाकला गांव के आजीविका मिशन के महिला स्व सहायता समूह द्वारा मास्क निर्माण कर गांव के लोगों को उपलब्ध किया जा रहा है समूह द्वारा किये जाने वाले कार्य–समूह में अभी कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए मास्क व सेनेटाइजर निर्माण का कार्य किया जा रहा है जो कि हमारे विकास खण्ड की सभी पंचायतों में दिया जा रहा है । 9 घंटे के भीतर धोकर पुन यूज किया जा सकता है।

कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए हमने देखा कि हमारे देश मे मास्क की कमी आ रही है और हम लोग मेडिकल में जा रहे मास्क लेने तो जो मास्क 15 से 20 रुपये में मिलते थे वही 30–40 रुपये में दे रहे है जिससे कि गरीब लोग lockdwon की हालत में ले नही सकते तो हमारे मन मे आया कि हमारे स्व सहायता समूह द्वरा मास्क व हर्बल सेनेटाइजर बना कर ही देश की सेवा करे जिससे

कोरोना महामारी से बचाव हो सके वही बाजार में मास्क एवं सैनिटाइजेशन की कालाबाजारी के कारण दाम बहुत बड़े हुए हैं जो ग्रामीणों के पहुंच से दूर है। ग्रामीणों मे वायरस का खतरा मंडरा रहा जिसके बचाओ के लिए स्व–सहायता समूह की महिलाओं ने निर्णय लिया कि कोरोनावायरस से बचाव के लिए खुद आगे आई और समाज की बचाव हेतु मास्क एवं सैनिटाइजेशन बनाने का काम शुरू किया

जनपद पंचायत बिछुआ शुरुआती दौर में जनपद पंचायत द्वारा 8005 निर्माण का आर्डर दिया गया है जिसमें ग्राम संगठन खमारपानी और ग्राम संगठन क्षमता जनता जनता ने कार्य प्रारंभ कर दिया एवं ग्राम संगठनों द्वारा इसी प्रकार जागृति स्व सहायता समूह पिपरियाकलां ,विकास खंड बिछुआ, स्व सहायता समूह के द्वारा 39000 मास्क तैयार किए जा चुके हैं । ग्रामीण महिलाओं की यह पहल बहुत सराहनी कदम है इस प्रकार के प्रयासों से कोरोनावायरस से लड़ने में बहुत मदद मिलेगी यह मास्क इको फ्रेंडली एवं रीयूजुअल बनाए जा रहे हैं।

ग्राम संगठनों द्वारा सॉलिटेयर अल्कोहल युक्त हैंड सेनीटाइजर ही बुलाया गया है जिससे कार्य के दौरान मजदूरों को सैनिटाइज भी किया जा सके , ग्राम संगठन की महिलाओं ने सिलाई सेंटर में मास्क निर्माण और सेनीटाइजर पैकिंग का काम चालू कर दिया है।

मनरेगा हेतु मास्क निर्माण जल्द से जल्द पूर्ण किया जाएगा और इस संकट की घड़ी में मनरेगा योजना में कार्य करने वाले मजदूरों को बीमारी से लड़ने का कवच प्रदान किया जा सकेगा।

**विनोद सिंह**
**संकाय सदस्य**

# कोरोना महामारी में ग्राम पंचायत दोत्रिया द्वारा किए गए प्रयास

कोरोना महामारी एक वैश्विक महामारी है। जिसका वर्तमान समय एवं आने वाले कुछ समय तक कोई इलाज नहीं है। वर्तमान समय में सारे विश्व में इस महामारी ने जो विकराल रूप लिया है। उससे बचने के लिए। उनके प्रयासों परिस्थितियों को देखते हुए। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो निर्णय लिया वही सर्वोत्तम

प्रयास था। जिसमें पूर्व में एक दिवस का जनता कर्फ्यू फिर 21 दिन का लाक डाउन, तत्पश्चात पुनः 19 दिन का लॉकडाउन का पालन करवाने में हमारी राज्य सरकार ने भी अपने स्तर पर कुछ निर्णय लिए हैं। इस लॉक डाउन का मुख्य उद्देश्य लोगों को अपने घरों में रहना है एवं सामाजिक दूरियां का पालन करना है। इस समझ को लोगों तक पहुंचाने के लिए। इसके प्रचार–प्रसार की आवश्यकता थी। जिसको मीडिया ने बखूबी निभाया है। आज जन–जन में इस बात की जानकारी है कि यह महामारी ऐसी है जो अपने आप नहीं आएगी जब तक आप इसे घर में लेकर नहीं आओगे अर्थात किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में नहीं आओगे जो संक्रमित है तब तक यह बीमारी या वायरस आपके घर तक नहीं पहुंचेगा क्योंकि इसके लक्षण एकदम से दिखाई नहीं देते हैं। अतः सावधानी रखना है, इसके लिए। अपने घरों में रहना एवं सोशल डिस्टेंसिंग बना कर रखना तथा अपने हाथों कोअपने नाक व मुंह को स्पर्श हीं करना है जिसके लिए हर 1 घंटे में हाथों को साबुन से धोना या सैनिटाइज करना होगा इस सब के लिए प्रचार प्रसार एक चुनौतीपूर्ण कार्य है

ग्रामीण क्षेत्र में इस कार्य को धार जिले की ग्राम पंचायत दोत्रिया, जनपद पंचायत बदनावर सरपंच – श्रीमती लता कुंवर राजपुरोहित ने बखूबी अंजाम दिया है इस महामारी से कैसे बचना? इस संबंध में ग्राम

पंचायत एवं पुलिस के सहयोग से लाउडस्पीकर के माध्यम से गांव में प्रचारित किया गया साथ ही। साथ ही लॉकडाउन का पालन करवाने में ग्राम पंचायत के आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ,कोटवार ,सचिव जीआरएस ,आदी सभी कर्मचारी द्वारा घर–घर जाकर लोगों को समझाइश दी गयी गांव में घर घर जाकर सैनिटाइजर बांटे गए, हाथ किस प्रकार धोना है इसकी भी जानकारी दी गई। क्योंकि पूर्व में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत। इस बात की

जानकारी लोगों में थी इसलिए इसको समझाना आसान हुआ पूरे गांव को सोडियम हाइड्रोक्लोराइड के द्वारासेनेटाइस किया गया गांव में मास्क का वितरण किया गया, लोगों को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आयुर्वेद की गोलियां बांटी गई जो 32 मजदूर पलायन करके बाहर गए थे अपने घरों को लौटे हैं उन सभी का मेडिकल चेकअप करवाया गया तथा korontyen में रखा गया है ,सोशल डिस्टेंसनसिंग के लिए सार्वजनिक दुकान आदि पर गोल घेरे बनाए गए। एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया गया गांव के बाहर के व्यक्ति को गांव में प्रवेश नहीं करने दिया जाता है तथा गांव के लोगों को अनावश्यक रूप से बाहर नहीं जाने दिया जाता है लोगों के खाने पीने की व्यवस्था। भी गांव के द्वारा। की गई इसके लिए। गांव के संपन्न लोगों से कुछ दान लिया गया। साथ ही। आसपास की फैक्ट्रियों के द्वारा भी दान दिया गया। जिससे गरीब लोगों के लिए। अनाज भोजन की व्यवस्था की गई मजदूर वर्ग के लिए। शासन द्वारा। 1000 खाते में डाले गए। सभी परिवारों को। 3 माह का अग्रिम अनाज दिया गया। स्कूल में पंजीकृत बच्चों। को मध्यान भोजन का मध्यान भोजन का चावल एवं गेहूं का वितरण किया गया इसमें है जिसमें पहले छोटे किसानों को मैसेज देकर एक निश्चित संख्या में बुलाया जाता है इस प्रकार ग्राम में कोरोना महामारी के बारे में जानकारी होकर सभी लोग लॉक डाउन का पालन कर रहे हैं। सभी ग्रामीण अब मास्क पहनना अपने व्यवहार में शामिल कर चुके हैं। यही आदतें लोगों को इस महामारी से बचाएगी जब ग्राम बढ़ेगा तब भारत भी बढ़ेगा और करोना से ये जंग जीतेगा।

**श्रीमती उर्मिला पंवार,**
**संकाय सदस्य**

# सफलता की कहानी

जनपद पंचायत सेंवढ़ा की ग्राम पंचायत पचोखरा सेंवढ़ा से लगभग 50 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। भौगोलिक दृष्टि से चारों ओर हरे–भरे खेत हैं। ग्राम पंचायत में सामान्य, अन्य, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति के लोग निवास करते हैं। चूंकि वर्तमान समय में कोविड–19 वायरस की महामारी से पूरी दुनिया ग्रसित है वहीं हमारे भारत के राज्य मध्यप्रदेश भी इसकी चपेट में है। इस महामारी से निपटने के लिए ग्राम पंचायत पचोखरा के सरपंच श्री भारत सिंह परिहार ने मानवीय एवं सहानुभूति दृष्टिकोण अपनाते हुए ग्राम पंचायत में शासन के निर्देशानुसार मास्क वितरण, पूरी ग्राम पंचातय में सेनीटाइजेशन करा दिया गया है वहीं गरीब मजदूरो को जिन्हें मजदूरी नहीं मिल रही है उन्हें खाने के लिए राशन एवं खाने के पैकिट उपलब्ध कराये जा रहे हैं। विभिन्न राज्यों से आने वाले मजदूरों को संस्थागत एवं होम क्वारंटाइन की भी व्यवस्था ग्राम पंचायत में अलग से रखी गई है। अभी तक ग्राम पंचायत में कोई भी कोविड़–19 का मरीज नहीं पाया गया है। यह ग्रामवासियों की अटूट मेहनत एवं सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष पालन करते हुए इस महामारी से दूर रहने हेतु प्रयास किया जा रहा है। इसमें सरपंच, सचिव एवं रोजगार सहायक एवं एम.आर.पी. द्वारा समय–समय पर किये गये क्षेत्र में किये गये कार्यों के चित्र एवं दीवाल लेखन द्वारा जनता को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

**के.एस. परमार,**
**संकाय सदस्य**

# ग्राम पंचायत अलीपुरा में कोरोना कोविड–19 के तहत किये गये प्रयास

आज सम्पूर्ण विश्व कोरोना (कोविड–19) जैसी महामारी बिमारी से जूझ रहा है इस महामारी लगभग सभी देश लगभग बहुत प्रभावित हो रहे है, जिसके कारण लोगो का जनजीवन को झकझौर कर अस्त व्यवस्था यह कोरोना महामारी एक छुआ छुत की बीमारी है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के सम्पर्क मे आने से तेजी से फेलती है और लोग गंभीर रूप से इसकी चपेट मे आते जा रहे है इस महामारी का ऑकडा पूरे विश्व में तेजी से फेलता जा रहा है।

इसी ऑकडे को कम करने के लिए भारत देश में भी लॉक डाउन व्यवस्था का कडाई से पालन हो रहा है यह लॉक डाउन को लगभग 54 दिवस हो चुके है ताकि इससे कुछ सुधार आ सके और जनजीवन प्रभावित न हो और लागो को महामारी से सुरक्षित बचाया जा सके जिसके अन्तर्गत लोगो में सरकार द्वारा सामाजिक दूरी बनाएं रखने, साबुन से बार बार हाथ धुलना, सेनेटाइजर का प्रयोग एवं मास्क लगाने के बारे में बार बार लोगो को समझाइस देकर लोगो से निवेदन किया जा रहा है एवे इस महामारी मे कई विभागों के लोग जैसे स्वस्थ्य विभाग पुलिस विभाग सफाई कर्मी विभाग अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाहन कर रहे है।

यह महामारी भारत के कई राज्यो में बहुत तेजी से फेलती जा रही है इन्ही राज्यो में से मध्य प्रदेश भी इसकी चपेट में आ चुका है जिसमें मध्य प्रदेश राज्य के इन्दौर, उज्जैन एवं भोपाल जैसे बडे जिले सामिल है इन जिलो के साथ साथ अन्य जिलो में भी लॉक डाउन का पालन करते हुए राज्य के सीमावर्ती एवं जिलो की सभी सीमाये प्रतिबंधित किये गये है ताकि अन्य राज्य एवं जिले प्रभावित न हो।

इसी परिपेक्ष में हम मध्य प्रदेश राज्य के बुंदेलखण्ड अंचल जिला छतरपुर अन्तर्गत जनपद पंचायत नौगांव की ग्राम पंचायत अलीपुरा की चर्चा कर रहे है इस ग्राम पंचायत में कोरोना (कोविड–19) महामारी से बचने के लिए सरपंच श्रीमती  स्नेहलता सोनी ,सचिव ग्यासी लाल श्रीवास एवं रोजगार सहायक श्री महेश कुमार मिश्रा के सहयोग से पूरे गांव के प्रत्येक घर में, सडक में, स्कूल मे, ऑगनबाडी में, आदि कई जगहो पर सेनेटाइजर का छिडकाओ किया गया एवं नालियो की सफाई भी करवाई गयी। स्वास्थ्य और सफाई को ध्यान में रखते हुए गांव में सभी को साबुन, सेनेटाइजर एवं मास्क का वितरण का इसके उपयोग के बारे में बताया गया।

**कोरेनटाइन सेंटर–** इसी तारतम्य में गांव के स्कूल में जो अन्य राज्यों में गांव के फसे हुए लगभग 100 मजदूर थे जो अब वापस गांव की ओर

आ गये है जिसके कारण स्कूल में कोरनटाइन सेंटर बनाया गया कोरनटाइन सेंटर में आये हुए मजदूरों को कोरनटाइन सेंटर में 14 दिन के लिए रखा गया और स्वस्थ्य विभाग की डाक्टर एवं अन्य स्टाप की टीम के द्वारा सभी की थर्मल स्क्रीनिंग करवाई गयी स्वास्थ्य परीक्षण करवाया गया कोरनटाइन सेंटर में सभी के लिए भोजन की व्यवस्था आवास की व्यवस्था एवं योगा अभ्यास कराया गया। 14वें दिन पश्चात् इन लोगो का सावधानी पूर्वक स्वास्थ्य स्क्रीनिंग परीक्षण कराया गया और सभी स्वस्थ्य लोगो को घर में जाकर रहने की अनुमति दी एवं सामाजिक दूरी बनाए रखने की हिदायत भी दी गयी।

**आजीविका मिशन की भूमिका**–इस ग्राम में सरपंच महोदय सचिव एवं आजीविका मिशन नौगांव की ग्राम प्रभारी कुमारी रूची मिश्रा द्वारा एकता सेनेट्ररी नेपकिन की समूह की सभी महिलाओ को बताया की इस संकट की घडी में कोरोना से बचने के लिए समूह की सभी महिलाओ को मास्क बनाने का कार्य करे ताकि गांवं में सभी लोगो को मास्क वितरण का कार्य सम्पन्न हो पाया और अन्य जगहो में भी मास्क की मॉग की पूर्ति हेतु अतिरिक्त मास्क बनाने का कार्य किया ताकि सभी जगह इसकी पूर्ति कर मिशन के उद्देश्यो की पूर्ति की जा सके। समूह की महिलाओ द्वारा गांव में जाकर मास्क लगाए रखने की एवं सामाजिक दूरी बनाएं रखने की निवेदन किया और संक्रमण से बचाया जा सके इसलिए घर में ही रहने का संदेश दिया।

**मनरेगा गारंटी अधिनियम की भूमिका**–इसी तारतम्य में गांव के मजदूर जो शहर से गांव की ओर पलायन करके आ गये है उन मजदूरो की आर्थिक स्थिति को संतुलन में बनाए रखने के लिए मजदूरो को ग्राम पंचायत में मनरेगा गारंटी अधिनियम की कई उपयोजनाओं जैसे खेत तालाब कपिलधारा सुदूर ग्राम सडक आदि में मजदूरो को 100 दिवस का अकुशल श्रमिक का कार्य देकर पारिश्रमिक

भुगतान दिया जाएगा ताकि मजदूर को गांव में ही रहकर अपनी आजीविका का साधन कमा सके। मजदूरो के खातो में भी सरकार द्वारा 1–1 हजार रूपये की सहायता राशि दी गयी है एवं अति गरीबीरेखा के नीचे जीवनयापन करने वालो को उचित मूल्य की दुकान से समय समय पर अग्रिम अनाज वितरण का कार्य भी किया गया है ताकि गांव में कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे।

**किसान एवं उपार्जन केन्द्र की भूमिका**–गांव में किसानों के द्वारा खेतो में फसलो की कटाई से लेकर उपार्जन केन्द्र में आनाज भेजने तक किसानो ने बडी ही सावधानी के साथ सरकार सहयोग किया। किसानो ने खेतो में फसलो की कटाई को करने के लिए उचित दूरी बनाकर एवं मास्क पहनकर कार्य किया फसलो की कटाई के साथ साथ घर में फसलो को रखने की उचित व्यवस्था भी की ताकि उपार्जन केन्द्र में आनाज भंण्डारण भेजने हेतु किसान के मोबाइल में संदेश आने पर ही निश्चत दिनांक पर किसान सामाजिक दूरी का पालन करते हुए सोसायटी में आनाज भंण्डारण कर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाहन किया।

इस ग्राम पंचायत का उद्देश्य है कि जब कोरोना कोविड–19 महामारी से बचने के पश्चात् महिलाओ की आजीविका, जागरूकता, शिक्षित, एवं निर्माण कार्यो पर कार्य करेगे ताकि लोगो को अधिक से अधिक रोजगार की ओर उन्मुख कर सके इसी आशा के साथ.....

**श्रीमती लवली मिश्रा**
**संकाय सदस्य**

# लॉकडाउन में मनरेगा के कार्य

महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना देश में निवासरत प्रत्येक परिवार को प्रतिवर्ष 100 दिवस का रोजगार देने हेतु प्रतिबद्ध है, जिसका उद्देश्य पलायन को रोकना एवं स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराकर परिसम्पत्तियो का निर्माण करना है। यह योजना अपने उद्देश्यो को पूरा करने में सक्षम है।

देश वर्तमान में भयंकर भीषण आपदा कोविड–19 (कोरोना वायरस दिसम्बर 2019) के प्रभाव में है। ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति एक साथ एकत्रित नहीं हो सकते, सोशल डिस्टेंस आव यक है। ऐसी स्थिति में ग्रामीण क्षेत्रो में रोजगार उपलब्ध कराना जिससे ग्रामीणों को आय के स्रोत उपलब्ध हो सके, साथ ही वे जहां है उस स्थल पर रहकर अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। प्रदेश के वर्तमान में 28 जिले कोविड–19 के प्रभाव में है तथा शेष 23 जिले सामान्य है। जिन जिलो में सामान्य जनजीवन है उन जिलो में 20 अप्रैल 2020 से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा), प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं आजीविका मिशन के कार्यो को प्रारंभ किया गया है। जिससे ग्रामीणजन रोजगार कर आय अर्जित कर सके। उक्त योजनाओं में प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के अन्तर्गत आवास निर्माण, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़को का निर्माण एवं मरम्मत, आजीविका मिशन के अन्तर्गत मास्क निर्माण तथा कृषिगत कार्यो को किया जाना तथा मनरेगा के अन्तर्गत हितग्राही मूलक कार्य, स्वच्छता संबंधी कार्य, सिंचाई/कृशि मूलक कार्य एवं जल संरक्षण/संर्वधन सम्बंधी कार्यो को किया जा रहा है।

उपरोक्त योजनाओं के कार्यो को करने हेतु निम्नानुसार श्रमिको को कार्य दिये जाने हेतु शासन द्वारा निर्देशित किया गया है –

1. देश/प्रदेश/जिले के कोरोना से संक्रमित क्षेत्रो से यात्रा करके वापस आये श्रमिको या परिजन को 14 दिवस की क्वारंटाइन अवधि पूर्ण होने के पश्चात ही कार्य पर नियोजित किया जाय।

2. ऐसे श्रमिक जिन्हे गंभीर समस्या हो,

3. ऐसे श्रमिक जिन्हे सर्दी, खांसी, बुखार, जुकाम अथवा सांस लेने में कठिनाई हो, उन्हे कार्य पर लगाये जाने से पूर्व स्वास्थय परीक्षण कराया जाकर स्वास्थ्य रिपोर्ट के आधार पर कार्य दिया जावे।

मनरेगा योजना से जिन स्थलो पर कार्य प्रारंभ कराया जाना है वहां निम्नानुसार सावधानियां बरतने हेतु भी दिशानिर्देश है –

(अ) मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भोपाल द्वारा जारी पत्र कमांक 9300 दिनांक 19/04/2020 के अनुसार कोविड–19 एवं संक्रमण को रोकने हेतु महात्मा गांधी नरेगा के प्रशासकीय मद से मास्क उपलब्ध कराये जाने के दिशा निर्देश जारी किये गये है।

(ब) कोविड –19 के संक्रमण की रोकथाम हेतु होममेड मास्क श्रमिको को पहनना अनिवार्य है एवं कार्य करते हुए श्रमिको को सोशल डिस्टेंसिंग (कम से कम 6 फीट की दूरी) का पालन कराया जाना अनिवार्य है। मास्क की व्यवस्था स्व सहायता समूह/ग्राम संगठन/क्लस्टर स्तरीय संगठन से कराई जाय, जिसका भुगतान मनरेगा के प्रशासनिक मद से किया जाय। प्रत्येक श्रमिक को 2 मास्क के अलावा पुनः मास्क का प्रदाय मनरेगा से नहीं किया जायेगा। कार्य स्थल पर बगैर चेहरे पर मास्क लगाए कोई भी श्रमिक कार्य नहीं कर सकेगा।

(स) मनरेगा निर्देशानुसार प्रत्येक कार्य स्थल पर एक मेट की व्यवस्था की जाए, मजदूर कम होने की स्थिति में रोजगार सहायक/सचिव कार्यो का पर्यवेक्षण करेंगे। मेट नियमित अंतराल पर हेण्ड वाशिंग श्रमिको से कराया जाय। मेट स्वच्छताग्राही को बनाने हेतु प्राथमिकता दी जावे।

(द) स्थल पर हैण्डवाशिंग हेतु सेनेटाइजर/साबुन की व्यवस्था पंचायत में उपलब्ध राशि से की जा सकेगी।

(इ) कार्य स्थल पर धुम्रपान, गुटखा, तम्बाकू आदि का सेवन प्रतिबंधित रहेगा, इसके अतिरिक्त कार्यस्थल पर थूकना पूर्णतः वर्जित होगा।

(फ) सचिव/ग्राम रोजगार सहायक/मेट का यह दायित्व होगा कि वह कार्यस्थल पर मेट द्वारा प्रतिदिन भरी जाने वाली चेक लिस्ट यथा स्थिति अनिवार्यतः भरवाए।

(ग) सहायक यंत्री/उपयंत्री/एपीओ कार्यो का सतत् पर्यवेक्षण अनुश्रवण करते हुए तकनीकी मार्गद र्शन में कार्यो को सम्पादित करायेंगे एवं भाासन द्वारा निर्धारित समय–सीमा में कार्यो का मूल्यांकन एवं भुगतान कराना सुनिश्चित करेंगे।

(ह) कार्य प्रारंभ कराये जाने से पूर्व सो ाल डिस्टेंसिंग एवं मास्क के साथ फोटो व्हाटसएप्प के माध्यम से ग्रुप में डालना सुनिश्चित करे।

उक्त निर्दे ाो के अतिरिक्त नियोजित श्रमिको के स्वास्थय परीक्षण हेतु निम्न निर्देश प्रसारित है –

1. सम्बंधित कार्यक्रम अधिकारी जनपद पंचायत अपने खण्ड चिकित्सा अधिकारी से समन्वय कर कार्य में लगे श्रमिको का स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

2. कार्य में लगे श्रमिकों का एएनएम/आशा कार्यकताओं के माध्यम से प्रत्येक ग्राम पंचायत में श्रमिको का स्वास्थ्य परीक्षण किया जावे।

3. यदि श्रमिक जिन्हे सर्दी, खांसी, बुखार, जुकाम अथवा श्वास लेने में कठिनाई हो, उन्हे तत्काल कार्य से अलग किया जाकर होम कोरंटाइन किया जावे एवं स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाए।

4. समय–समय पर शासन एवं स्वास्थय विभाग द्वारा जारी समस्त निर्देशो का पालन किया जावे।

उपरोक्तानुसार दिशानिर्देशो का पालन करते हुए ग्रामीण क्षेत्रो में कार्यो को प्रारंभ किया गया है जिससे ग्रामीण क्षेत्रो में रोजगार की उपलब्धता हो रही है।

**डॉ. त्रिलोचन सिंह**
**संकाय सदस्य**

# कोविड–19 से युद्ध के कानूनी प्रावधान

हम सभी अब तक यह जान ही चुके हैं कि कोरोना वायरस पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले चुका है और अब यह भारत मे भी अपने पांव तेजी से पसार रहा है। कोविड –19 को फैलने से रोकने के लिए केंद्र सरकार ने 24 मार्च 2020 से पूरे देश में 21 दिन के लॉकडाउन की घोषणा महामारी कानून 1897 के तहत की है और अब इसे 03 मई तक बढ़ाया है।

भारत में लॉकडाउन के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने पर कारावास एवं जुर्माने का प्रावधान विभिन्न कानूनों के तहत किया गया है। कुछ प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित अनुसार हैं –

1. **आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005** – इस अधिनियम की धारा 51से 60 के तहत बिना किसी तार्किक कारण के लॉक डाउन के नियमों का पालन नहीं करने पर सजा का प्रावधान है।

- अगर कोई केंद्र या राज्य सरकार या राष्ट्रीय/राज्य/जिला स्तरीय ऑथोरिटी द्वारा अधिकृत व्यक्ति के कार्य में बाधा पहुँचाता है तो उसे 1 वर्ष की जेल, जुर्माना या दोनों हो सकता है।
- अगर कोई राहत, सहयोग आदि का झूठा दावा करता है तो उसे दो साल तक की सजा हो सकती है।
- राहत कार्य के लिए आबंटित राशि या सामग्री के दुरुपयोग की स्थिति में दो साल तक की सजा के साथ जुर्माना का प्रावधान।
- अगर कोई झूठी या भ्रामक चेतावनी फैलाता है तो एक साल की जेल के साथ जुर्माने का प्रावधान।
- अगर कोई उल्लंघन सरकारी सरकारी विभाग की लापरवाही या जानबूझकर होता है तो नियमों के तहत सख्त कार्यवाही की जावेगी।
- अगर कोई सरकारी अधिकारी या संबंधित व्यक्ति बिना लिखित अनुमति के ड्यूटी करने से मना करता है तो उसे एक साल जेल की सजा हो सकती है।
- अगर कोई उल्लंघन किसी कंपनी या निगमित निकाय की लापरवाही के कारण या जानबूझकर होता है तो नियमों के तहत सख्त कार्यवाही की जावेगी।

2. **भारतीय दंड संहिता से संबंधित प्रावधान –**

- धारा 188 आईपीसी – यदि लोग सरकार या जिले के लोकसेवक द्वारा दिये गए आदेशों का उल्लंघन करते हैं या कानून व्यवस्था में लगे अधिकारी कर्मचारी को को नुकसान पहुंचाया जाता है तो कम से कम एक माह की जेल या 200 रुपये जुर्माना या दोनों हो सकता है। यदि लोगों द्वारा सरकार या लोकसेवक के आदेश का उल्लंघन किये जाने सुरक्षा व्यवस्था, मानवजीवन, स्वास्थ्य आदि को खतरा होता है तो कम से कम 6 माह की जेल या 1000 रुपये जुर्माना या दोनों।

- **धारा 269 आईपीसी** – इसके तहत लापरवाही से जीवन के लिये खतरनाक किसी बीमारी के संक्रमण को फैलाने की संभावना वाले किसी भी कार्य को करने पर 6 माह की जेल या जुर्माना या दोनों दण्ड।
- **धारा 270 आईपीसी** – जीवन के लिये खतरनाक किसी बीमारी के संक्रमण को फैलाने की संभावना वाले किसी कार्य को करना।इसमें दो वर्ष की कैद या जुर्माना या दोनों का प्रावधान।
- उदाहरण स्वरूप बॉलीवुड सिंगर कनिका कपूर कोरोना पॉजिटिव होते हुए भी लखनऊ में पार्टी में शामिल हुई।उनके विरुद्ध धारा 269,270 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
- **धारा 271 आईपीसी** – यह क्वारेंटीन के नियम की अवज्ञा से संबंधित है।क्वारेंटीन से तात्पर्य एक अवधि या अलगाव के स्थान से है जिसमें ऐसे लोग जो कहीं बाहर से आये हैं या संक्रामक रोग के संपर्क में आये हैं, उन्हें रखा जाता है।इसका उल्लंघन करने वाले को 6 माह जेल या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है।

3. **राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम(रासुका) 1980** – यह अधिनियम केंद्र और राज्य सरकारों को किसी व्यक्ति को भारत की सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने, विदेशों के साथ भारत के संबंधों को चोट पहुंचाने, सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव या आपूर्ति को बाधित करने, ड्यूटी पर तैनात अमले पर हमला करने के जुर्म में गिरफ्तार करने की शक्ति देता है। अभी हाल ही में कोविड–19 के विरुद्ध लड़ाई में कोरोना

वारियर्स पर हमले एवं अभद्रता की घटनाओं के बाद इंदौर, गाजियाबाद, दिल्ली आदि स्थानों पर कुछ लोगों पर रासुका के तहत मामले दर्ज किए गए हैं।

4. **धारा 144 (सीआरपीसी)** – किसी भी इलाके में शांति व्यवस्था को बनाये रखने या किसी आपात स्थिति से निपटने के लिए द. प्र.सं. की धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया जाता है।इसके तहत संबंधित क्षेत्र में 5 या अधिक व्यक्ति एकत्र नहीं हो सकते, समूह में नहीं घूम सकते।कोविड 19 के समुदाय में संक्रमण के प्रसार की आशंका को निर्मूल करने के लिए कई जिलों में धारा 144 लगाई गई है।इसका उल्लंघन करने पर अधिकतम 3 वर्ष की सजा एवं जुर्माने का प्रावधान है।
5. **कर्फ्यू** – आमतौर पर कर्फ्यू अत्यंत गंभीर स्थिति में प्रशासनिक आदेश द्वारा लगाया जाता है। लोगों को अपने घरों से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होती। चूंकि इसमें छूट बेहद कम होती है अतः केवल आपातकालीन सेवाएं ही चालू रहती हैं। कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद अनेक शहरों में सामुदायिक संक्रमण से बचाव हेतु कर्फ्यू लगाया गया है।
6. **एस्मा(एसेंशियल सर्विसेस मेंटेनेन्स एक्ट 1955)** – ऐसा कानून जो दुकानदारों को कालाबाजारी करने से रोकता है।
7. **महामारी कानून 1897 में सख्त प्रावधान जोड़े गए** – केंद्र सरकार द्वारा कोरोना संक्रमितों के इलाज में जुटे डॉक्टरों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने की घटनाओं को संज्ञेय और गैर जमानती अपराध बनाने वाले अध्यादेश को मंजूरी दी गई है।इसके प्रमुख प्रावधान हैं–––

- स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले की जाँच पुलिस को 30 दिन में पूर्ण करना होगी।
- हमलावरों को 3 माह से 5 वर्ष तक की सजा एवं 50 हजार से 2 लाख रुपये तक का जुर्माना।
- गंभीर चोट के मामले में 6 माह से 7 वर्ष की सजा एवं 1 लाख से 5 लाख रुपये तक का जुर्माना।
- गाड़ी, क्लिनिक या संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की स्थिति में हमलावर से बाजार भाव से दुगनी राशि वसूल की जावेगी।
- स्वास्थ्य कर्मियों की वजह से संक्रमण फैलने की आशंका से अगर कोई पड़ोसी या मकानमालिक स्वास्थ्य कर्मियों को परेशान करता है तो उन पर भी यह अध्यादेश लागू होगा।

केंद्र व राज्य सरकारों की दृढ़ इच्छाशक्ति एवं सुरक्षात्मक कानूनी प्रावधानों के साथ– साथ भारत की जनता के सहयोग से निश्चित ही हम इस वैश्विक महामारी को परास्त करने में सफल होंगे।

**राजीव लघाटे,**
**मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत**

# मानवता हित में सीएम रिलीफ फंड में करें सहयोग

हम सभी देख रहे हैं कि दुनियाभर में कोरोना वायरस संक्रमण तेजी से फैल रहा है, जिसका प्रभाव विश्व के दूसरे देशों की तरह भारत में भी है। देश के दूसरे राज्यों की तरह मध्यप्रदेश भी मुश्किल के उसी दौर से गुजर रहा है। कोरोना के संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए पूरे भारत को पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया गया है। दूध और दवाइयां की दुकानों को छोड़कर, बुनियादी जरूरतों की सभी दुकानों को बंद करने के आदेश कलेक्टर द्वारा जारी कर दिए गए हैं।

भोपाल के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी बताते हैं कि "स्थिति को नियंत्रण करने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। इस बीच, राज्यपाल श्री लालजी टंडन ने कोरोना वायरस से उत्पन्न संकट अवधि समाप्त होने तक हर माह अपने वेतन की 30 प्रतिशत राशि प्रधानमंत्री कोष में देने की घोषणा की है। उन्होंने राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद जी को पत्र भेजकर यह जानकारी दी है।

तो वहीं, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने देशव्यापी कोरोना संकट के समय में एक साल तक अपने वेतन की 30 प्रतिशत राशि सहायता कोष में देने का निर्णय लिया है। "

देश में कोरोना वायरस संक्रमण के कारण असाधारण स्थिति बनी हुई है। इससे अर्थ–व्यवस्था की स्थिति भी प्रभावित हुई है। इस समय आवश्यकता है कि सम्पूर्ण शक्ति और संसाधन कोरोना वायरस के संक्रमण से निपटने में लगाई जाए। सभी वर्गों से भी अपील है कि अपने खर्चों में कटौती कर पैसा बचाकर कोरोना संकट से जूझने के लिए मुख्यमंत्री सहायता कोष को प्रदान करें। क्योंकि हमारा एक छोटा सा प्रयास मानवता की रक्षा में अभूतपूर्व योगदान दे सकता है।

## सीएम रिलीफ फंड –

बैंक का नाम– स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI)

ACC No–– 10078152483

IFSC CODE – SBINOOO1056

प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना नियंत्रण और बचाव के लिए महत्वपूर्ण नंबर भी जारी किए गए हैं, जिसके जरिए लॉकडाउन के दौरान मुश्किल में फंसे लोग एवं कोरोना के लक्षण पाये जाने पर संपर्क कर सकते हैं।

सीएम हेल्पलाइन – 181

स्वास्थ्य हेल्पलाइन –104

निः शुल्क भोजन के लिए– 18002332797

यदि मध्यप्रदेश का कोई निवासी दूसरे राज्य में हो – 0755–2411180

**रविन्द्र पाल,**
**प्रोग्रामर**

## सफलता की कहानी – ग्राम पंचायत–भरभडिया, जनपद पंचायत एवं जिला नीमच

पंचायत राज संचालनालय मध्यप्रदेश शासन, भोपाल एवं महात्मा गॉधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज संस्थान मध्यप्रदेश जबलपुर द्वारा पारित आदेश के परिपालन में आवंटित ग्राम पंचायत–भरभडिया, जनपद एवं जिला पंचायत नीमच संभाग उज्जैन, का क्षेत्र निरीक्षण करने का सुअवसर मुझे प्राप्त हुआ, जिसे 35 बिन्दुओं के आधार पर तैयार रिपोर्ट को सत्यापित कर ऑनलाईन किया गया।

ग्राम पंचायत भरभड़िया के अद्योसंरचना अंतर्गत सामुदायिक भवन, सूचना प्रसारण केन्द्र, शासकीय विधायल, ऑगनबाडी भवन, पंचायत भवन, पुस्तकालय, ई–कक्ष आदि की गुणवत्ता एवं रखरखाव बहुत ही उत्तम स्तर के है। पंचायत द्वारा किये गये विकास कार्य, संचालित योजनाएँ, सर्वाधिक कर वसूलने एवं पंचायत कर्मियों द्वारा पंचायत का रिकार्ड का प्रबंध जैसे ग्राम सभा

बैठक रिकार्ड आदि बहुत अच्छे से किया जाता है। इस पंचायत की सरपंच एक महिला है जिनकी सेवा भाव एवं ग्राम निवासियों, पंचायत कर्मियों के प्रति परस्पर मधुर एवं शालीन है।

केन्द्रीय पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नीमच जिले की आदर्श पंचायत भरभड़िया को वर्ष 2018–19 के कार्यों के आधार पर म0प्र0 की सर्वश्रेष्ठ चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत पुरूस्कार 2020 के लिए चयनित किया गया है। भरभड़िया पंचायत का

ग्राम पंचायत–भरभडिया द्वारा किये गये अनुकर्णीय कार्यो को देखकर उत्कृष्ट एवं आदर्श ग्राम पंचायत की परिकल्पना साकार रूप में दिखाई देती है। उक्त समस्त बिन्दु के आधार पर मेरे द्वारा तैयार रिपोर्ट को सत्यापित किया गया एवं निर्धारित समय सीमा में आनलाईन भी की गई। जिसके फलस्वरूप ग्राम पंचायत भरभडिया को भारत सरकार द्वारा वर्ष 2020 के लिए म0प्र0 पंचायत पुरूस्कार 2020 हेतु चयनित किया गया। मेरी ओर से ग्राम पंचायत

चयन बच्चों के लिए किये गये विभिन्न कार्यों जैसे आंगनबाड़ी केन्द्रों में बच्चों की उपस्थिति, पढाई, मिड–डे मील, खेल के मैदान, टीकाकरण, स्वास्थ्य, स्कूलों की साफ–सफाई, साफ पानी और पोषण की समुचित व्यवस्था को देखकर किया गया है। पंचायत अंतर्गत 4 ऑगनबाड़ी में 266 तथा प्राथमिक से लेकर हायर सेंकेन्ड्री तक 291 बच्चे दर्ज है।

भरभड़िया के सरपंच, सचिव, पंचायतकर्मी एवं पंचायत वासियों सहित मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला एवं जनपद पंचायत नीमच को उत्कृष्ट कार्य एवं पुरूष्कार हेतु हार्दिक शुभकामनाएं एवं अभिनंदन।

**आर.डी कतरौलिया,**
**संकाय सदस्य**

# कोरोना वायरस के चलते मास्टर रिसोर्स परसन की सक्रिय भूमिका

बैतूल जिले के आदिवासी अंचल विकासखंड भीमपुर की ग्राम पंचायत बोरकुण्ड के ग्राम धामदेही में आज वैश्विक महामारी कोरोना के बारे में जानकारी प्रदान की गई जिसमें एमआरपी (समाजसेवी) लवकेश मोरसे के द्वारा कोरोना के लक्षण बताये गए एवं आज पूरा विश्व नमस्ते की आदत को अपना रहा है उसको लेकर समझाइस दी गई एवं कही भी किसी को भी अगर तेज बुखार सर्दी खांसी एवं सास लेने में तकलीफ हो अगर ऐसे लक्षण दिखाई दे तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर अपना इलाज कराने की सलाह दी गई साथ ही ए एनम बसंती धुर्वे एमपीडब्ल्यू रामलाल ककोडिया भी उपस्थित रहे।

**विकासखंड भीमपुर के ग्राम पंचायत खुनखेड़ी में जागरूकता संदेश एवं मोटीवेट किया गया –**

विकासखंड भीमपुर के ग्राम पंचायत बटकी के ग्राम चीरा में कोरोना महामारी को लेकर जागरूकता चलाई गई चूंकि ग्राम की आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर है और गाँव के अधिकांश लोग पलायन करते हैं जिसमे अक्सर महाराष्ट्र जाते है ऐसे में ग्राम से 65 मजदूर बाहर गए उनका सर्वे किया गया एवं उनके परिवार वालो से कहा गया कि अगर आपके परिवार के लोग जो बाहर गए है वो आते है तो आपको तुरंत स्वास्थ्य विभाग में या फिर पंचायत में सूचना देनी है यह समझाइस दी एव उन्हें कोविड19 कोरोना वायरस की जानकारी दी गई एवं उसके लक्षण बताये गए एमआरपी समाजसेवी लवकेश मोरसे के साथ एएनएम सुनीता चौहान,सरपंच सेवाराम धुर्वे सचिव किशोर मर्सकोले आशा कार्यकर्ता मोनिका धुर्वे उपस्थित रही

विकासखंड भीमपुर के ग्राम पंचायत देशली में कोविड19 कोरोना वायरस हेतु जागरूकता जिसमे समाजसेवी लवकेश मोरसे ए एनम अनिता मर्सकोले एमपीडब्ल्यू रामवतार बावरिया आशा कार्यकर्ता सकूँन मर्सकोले ग्रामीण जान उपस्थित रहे।

**ग्राम महतपुर में निकाली गई कोरोना वायरस के प्रति जागरूकता रैली**

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भीमपुर के उप स्वास्थ्य केंद्र महतपुर में स्वास्थ विभाग एवं समाजसेवीयों के द्वारा नोवेल कोरोना वायरस के प्रति जागरूकता रैली निकाली गई जिसमें मुख्य रूप से समाजसेवी लवकेश मोरसे ग्राम के सरपंच महोदय मानसिंह परते एमपीडब्ल्यू बद्रीप्रसाद कुमरे,एनएम संगीता बामनकर,सुनीता चौहान, के द्वारा ग्रामीणों को रैली के माध्यम से समझाया गया कि आज पूरे विश्व में नोवेल कोरोना वायरस ने घर कर लिया है इस

महामारी से पूरा विश्व कहीं ना कहीं आज जूझ रहा है हम सब को इसके प्रति जागरूकता की जरूरत है

क्योंकि अभी तक इसकी कोई वैक्सीन तैयार नहीं हो पाई है इसलिए इससे हमको जागरूकता ही बचा सकती है जितना हो सके हम भीड़ वाली जगहों से बचें और स्वास्थ्य के प्रति स्वच्छता को अपनाएं बार–बार हमें हाथों को साबुन से धोते रहना चाहिए एवं छीखते खांसते समय मुंह पर रूमाल रखना जरूरी है अगर हमारे आसपास किसी को कोरोना वायरस के लक्षण नजर आए तो उसे तुरंत उपचार के लिए भेजा जाना चाहिए एवं ऐसे मरीज से कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें मास्क पहनने की आदत डालें या फिर मुंह पर कपड़ा बांधकर रखें जागरूकता ही इस वायरस को फैलने से रोक सकती है इसलिए जितना हो सके जागरूकता फैलाएं हाथ मिलाने से दूर रहें आज पूरा विश्व कहीं ना कहीं नमस्ते कर रहा है हमें भी नमस्ते की आदत डालनी चाहिए रैली में ग्रामीणों के साथ साथ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता शिक्षक एवं आशा कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे।

**निगरानी के साथ–साथ सेनेटाइज की सुविधा उपलब्ध कराने की की मांग**

दामजीपुरा – दामजीपुरा क्षेत्र के समाजसेवी लवकेश मोरसे के नेतृत्व में एवं ग्रामीणों शिक्षको के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी,एवं कलेक्टर जिला बैतूल, पुलिस अधीक्षक जिला बैतूल के नाम चौकी प्रभारी नरेंद्र ठाकुर को ज्ञापन सौंपा गया एवं जिला चिकित्सा अधिकारी के नाम प्राथमिक स्वास्थ केंद्र दामजीपुरा में ज्ञापन दिया गया और मुख्य कार्यपालन अधिकारी भीमपुर एवं तहसीलदार भीमपुर के नाम ग्राम पंचायत दामजीपुरा को ज्ञापन दिया गया जिसमें मांग की गई आदिवासी अंचल दामजीपुरा क्षेत्र में लगभग 14 पंचायतो के 50 गांव का मुख्य केंद्र बिंदु दामजीपुरा है एवं महाराष्ट्र बॉर्डर दामजीपुरा से महज 2 से 3 किमी पर है।

इस क्षेत्र से बहुसंख्या में आदिवासी मजदूर वर्ग महाराष्ट्र के शहर पुणे, मुंबई, अमरावती, नागपुर, जलगांव आदि जगहों पर काम करने जाते हैं साथ ही व्यापार करने भी महाराष्ट्र से व्यापारी छेत्र में आते हैं वर्तमान में नोवेल कोरोना वायरस के चलते क्षेत्र के अधिकांश मजदूर उक्त शहरों से वापिस अपने ग्राम में आ रहे हैं जिससे कि छेत्र में संक्रमण फैलने से रोकथाम हेतु इनकी पहचान के लिए स्वास्थ्य विभाग टीम को लगाया जाना चाहिए,इसके साथ महाराष्ट्र की और जाने आने वाली बसो पर भी रोक लगाई जाए एवं महाराष्ट्र के बार्डर पर पुलिस गस्त–निगरानी के साथ–साथ सेनेटाइज की सुविधा अति शीघ्र ही उपलब्ध कराई जाने का कष्ट करें जिससे कि क्षेत्र में नोवेल कोरोना वायरस से अनभिज्ञ लोगों की सुरक्षा की जा सके ज्ञापन सौपने वालो में समाजसेवी लवकेश मोरसे सरपंच संतोष चौहान, गजेंद्र सोलंकी, आजाद राजपूत, नंदलाल इरपाचे, दीपक राठौर, रितेश बकोरिया, जोगी इवने, रमेश ककोडिया, शंकर चौहान, कैलाश चोरगड़े, गौतम तायवड़े, एवं युनुस खान उपस्थित रहे।

ग्राम दामजीपूरा में स्वास्थ्य विभाग एवं पुलिस विभाग के साथ मिलकर कोविड19 कोरोना वायरस के प्रति जागरूकता रैली जिसमें पूरे ग्राम में नारो के माध्यम से लोगो को संदेश दिया गया अन्य जिले एवं दूसरे राज्य से आने वाले लोगो का स्वाथ्य परिक्षन कराया साथ ही उन्हें दो सप्ताह तक गांव वाले एवं परिवार वाले से दूर रहने की सलाह दी गई एवं जो व्यक्ति जहाँ है वो वही रहे एक दूसरे के संपर्क में न आये एवं लॉकडाउन का पूर्णतया रूप से पालन किया जाय ताकि हम कोरोना से बच सके। लवकेश मोरसे समाजसेवी,ए एनम कविता पन्द्राम, आशा सहयोगी

प्रमिला सलामे आशा सुनीता सेलुकर,युनुष खान,पुलिस मेंन प्रफुल धुर्वे उपस्थित रहे।

**दामजीपुरा में ग्राम पंचायत महतपुर की पहल**

दामजीपुरा – बैतूल जिले के आदिवासी अंचल दामजीपूरा के ग्राम पंचायत महतपुर जावरा में हरदा जिले से आये मजदूरो को ग्राम पंचायत भवन महतपुर में उन्हें दो सप्ताह तक आइसोलेसन के लिए रखा गया हैं एवं उन्हें अपने एवं अपने परिवार के लोगो से दूरिया बनाकर रखे एवं गांव से दूर रहे इसकी सलाह दी गई समाजसेवी लवकेश मोरसे ने बताया की जागरूकता के पहल पर की क्षेत्र में गाँव–गाँव मे जागरूकता कर जो बाहर से आये लोगो को घर एवं परिवार से दूर रहने की सलाह दी जा रही उसी तर्ज को लेकर ग्राम पंचायत महतपुर में एवं ग्राम पंचायत दामजीपूरा के बालक छात्रावास में सरपंच सचिव की पहल स्वस्थ विभाग की पहल से ग्राम के पंचायत भवन महतपुर में 27 महिला पुरुषो की रहने की व्यवस्था एवं दामजीपूरा के बालक छात्रावास में 3 लोगो की व्यवस्था की एवं बटकी के खुर्दा में 4 लोगो को आइसोलेसन में रखा गया है एवं उन्हें अपने एवं अपने गांव के लोगो से दूर रहने की सलाह दी गई है पंचायतों में इस निर्देश का विशेष रूप से पालन किया जा रहा है सचिव धन्ना विश्वकर्मा एवं चम्पालाल मर्सकोले,रमेश ककोडिया एवं सरपंच मानसिंग परते, सरपंच सेवाराम धुर्वे एवं सचिव किशोर मर्सकोले के अनुसार जो भी लोग बाहर से आ रहे है उन्हें सवास्थ्य जांच कर दो सप्ताह तक आइसोलेसन के लिए सलाह दी जा रही हैं इसके लिए जनपद सीईओ कंचन वास्कले के द्वारा सभी पंचायत सचिवों को विशेष निर्देश भी दिए गये है।

बटकी पंचायत के ग्राम चीरा में महाराष्ट्र से आये 42 मजदूर भाइयो, बहनो का एएनएम सुनीता चौहान, एवं आशा कार्यकर्ता मोनिका धुर्वे, आँगनवाड़ी कार्यकर्ता भगरती वटके एवं सरपंच सेवाराम धुर्वे सचिव किशोर मर्सकोले और ग्राम के वरिष्ठ नागरिकों में उमराव उइके शिवचरण उइके, प्रेमलाल ठाकरे आदि के साथ मिलकर उन्हें सेनेटाइज किया गया एवं उन्हें कोरोना के प्रति समझाइस देकर उनको दो सप्ताह तक ग्राम पंचायत भवन एवं माध्यमिक शाला भवन में आइसोलेट के लिए रखा गया।

इन जागरूक रैली में सभी लोगों को सेनेटाइज किया गया एवं ग्राम पंचायत में मजदूरों को रखकर आइसोलेट करने में लोकेश मोरसे मास्टर रिसोर्स परसन का सक्रिय भूमिका रही।

संचालक महोदय राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज्य संस्थान जबलपुर के अथक प्रयास से प्रशिक्षित मास्टर रिसोर्स परसन पंचायतों में इस विषम परिस्थियों में सक्रिय भूमिका रही।

**सी.के. चौबे,**
**संकाय सदस्य**

# ग्राम पंचायत भजियादण्ड का करोना की लड़ाई में योगदान

लॉकडाउन के दौरान ग्राम पंचायत भजियादण्ड, जनपद पंचायत खैरलांजी जिला बालाघाट (म.प्र.) द्वारा बाहर से आये लोगो को होम कॉरेन्टीन रहने की सलाह दी जा रहीं है। रेड अलर्ट जगह से आये हुये लोगो को जनपद द्वारा तैयार किये गये कॉरेन्टीन सेंटर में भेजा जा रहा है। ग्राम में लोगो का डॉक्टर की टीम बुलाकर नियमित स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। आशा कार्यकर्ता और ए.एन.एम. द्वारा नियमित उपचार किया जा रहा है। लोकडाउन के द्वारा ग्राम पंचायत के सरपंच माया/तेजसिंह द्वारा पंचायत के कुछ लोगो को चिकनफाक्स (बडी माता) होने पर सभी 15 से 20 लोगो का मु¶त में इलाज कराया गया तथा दवाओं की भी व्यवस्था की गयी।

ग्राम के बेघर–बेसहारा लोगो को सरपंच के द्वारा मुफ्त में अनाज, चावल, माक्स एवं सेनिटाईजर की व्यवस्था की गयी। ग्राम के सरपंच, सचिव श्री भूपेन्द्र वाघाडे, ग्राम रोजगार सहायक डाली पटले, आशा कार्यकर्ता, ए.एन.एम. के द्वारा नियमित रूप से ग्राम का भ्रमण किया जा रहा है। सरपंच स्वंय चिकित्सकों की टीम के साथ कडी तेज धुप में भी ग्राम में भ्रमण कर रहीं है एवं लोगो को लोकडाउन का पालन करने, घर में रहकर सुरक्षित रहने की सलाह दी जा रहीं है।

कोविड–19 वैश्विक महामारी से बचने एवं अपने ग्राम पंचायत को इस बिमारी से बचाने हेतु प्रयास किये जा रहे है एवं लोगो को जागरूक किया जा रहा है।

**पी.डी. गुप्ता,**
**संकाय सदस्य**

# ई–शिक्षा

ई–शिक्षा यानी की इलेक्ट्रॉनिक शिक्षा। शिक्षा की ऐसी पद्धति हैं जिसमे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ साथ डिजिटल नॉलेज की जानकारी दी जाती है द्य इसके अंदर बहुत चीजे आते है जैसे कि एक क्लासरूम हो और उसमे बेसिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है , चाहे वो कोई बहुत बड़ा ही ऑनलाइन इंस्टिट्यूट ही क्यों न हो इसी विशेषता के कारण इसका उपयोग बहुत सस्ता एवं सरल है।

ई–शिक्षा दो प्रकार की होती है ,एक जिसमे एक तरफ से संबाद स्थापित करके शिक्षा प्रदान की जाती है जेसे की यदि कोई शिक्षक अपने विषय ज्ञान की सीडी बनाए जिसके द्वारा वह केबल अपनी बात विध्यार्थियों तक पाहुचा सकता है ,इस प्रकार की ई–शिक्षा का उपयोग कई वर्षो से किया जा रहा है ,परंतु कुछ समय से इंटरनेट की पहुँच बड्ने से इसकी उपयोगिता कम हो रही है।

अन्य प्रकार की ई–शिक्षा जो कि आज सबसे ज्यादा चलन मे है जिसमे शिक्षक एवं विध्यार्थी दोनों के बीच संबाद स्थापित किया जाता है जिसमे विध्यार्थी चाहे तो बीच मे ही अपने प्रश्नो के उत्तर शिक्षक से प्राप्त कर सकते है।

ई–शिक्षा के अंतर्गत मोबाइल आधारित शिक्षा , कंप्यूटर आधारित शिक्षा हैं , इसकी शुरुवात पिछले कुछ दशकों से ही हुई है इसके शुरुवात से शिक्षा के क्षेत्र में काफी सुधार आया है।

जब ई–शिक्षा की शुरुवात हुई तब दुनिया में इसके प्रति उतना लगाव नहीं था। लेकिन कुछ सालो में इसकी काफी इसके प्रति लोगो का रूचि बढ़ी है , और लोग इसके पीछे जाने के लिए अग्रसर है द्य हमारे नई तकनीकों के बढ़ने के कारण आज ऑनलाइन शिक्षा में काफी हद तक सुधार आया है।

ई–शिक्षा में स्टूडेंट को ऐसे कंटेंट प्रदान करते है , जो स्टूडेंट को अपनी ओर आकर्षित करते है और इससे उपस्थिति में बढ़ोतरी होती है , क्योकि इसमें विद्यार्थियों की रूचि के अनुसार शिक्षा दी जाती हैं , और इसी वजह से स्टूडेंट को इस तरह की शिक्षा विधि से पढ़ना अच्छा लग रहा है।

आज क्लास को डिजिटल तकनीक के साथ इसीलिए बनाने की कोशिश की जा रही हैं , ताकि इसमें भी इ लर्निंग की सुविधा लोगो तक पहुंचाया जा सके।

जैसे आप आम क्लास में जाते हो , आपको टेक्स्ट बुक , ब्लैक बोर्ड जैसे चीजे देखने को मिलेंगे। लेकिन ई क्लासरूम में आपको कंप्यूटर , लैपटॉप , प्रोजेक्टर जैसे चीजे जुडी होती है , जो स्टूडेंट के इंटरेस्ट को सिखने के लिए और भी ज्यादा बढ़ा देती है। और साथ ही ऑनलाइन टेस्ट इसमें और भी इसे इंटरेस्टेड बना देती है। इसमें स्टूडेंट को कुछ पेपर पर लिखने की जरुरत नहीं पड़ती है ,

**कम्प्यूटर आधारित ई–शिक्षा**

कम्प्यूटर आधारित ई– शिक्षा मे कम्प्यूटर तथा इंटरनेट के माध्यम से शिक्षा दी जाती है जोकी विभिन्न

सॉफ्टवेयर के माध्यम से संभव हो पता है आज बाजार मे कई सॉफ्टवेयर है जो कम्प्युटर के माध्यम से शिक्षा देने मे सहायक सिद्ध हो रहे है।

**मोबाइल आधारित ई–शिक्षा**

यह सही मानो मे ई–शिक्षा का भविष्य है आज हमारे देश मे दुनिया भर मे सबसे अधिक मोबाइल उपभोक्ता है एवं कई मोबाइल एप है जोकि विना किसी शुल्क के आज मोबाइल के माध्यम से यह कार्य कर रही है।

**ई–शिक्षा का भविष्य**

पिछले कुछ दशकों में ऑनलाइन एजुकेशन की डिमांड काफी बढ़ी है और इसके अनुमान से आज यह कुछ ज्यादा ही और बहुत तेजी से बढ़ रहा है , ज्यादा से ज्यादा लोग आज इ लर्निंग में पैसे इन्वेस्ट कर रहा है , क्योकि इसका भविष्य काफी फायदेमंद होने वाला है।

आज ई–शिक्षा की इंडस्ट्री काफी ज्यादा बड़ी होती जा रही है। समय के साथ– साथ हो रहे बदलावो के कारण ई –शिक्षा विधार्थीयों को कई प्रकार से मदद कर रही है , आज जोभी हम सीखना चाहते हो वो आसानी से घर बेठे सीख सकते है इसका फायदा ना केवल स्कूल कॉलेज के विधार्थी बल्कि किसान , व्यापारी ,ग्रहणी आदी सभी लोग जो कुछ सीखना चाहते हो वह सब उठा रहे है

**ई–शिक्षा के फायदे**

इससे जुडे हमे कई तरह के फायदे होते है , चलिये जानते है , उन फायदो के बारे मे , ई–शिक्षा से हमे होती है। इसमे आप अपने मन के हिसाब से लर्निंग कर सकते हो . इसमे आप पर कोइ पांबंदी नही होती है , आप अपने रुचि के हिसाब से आप पढ सकते हो .।

अगर आम क्लास मे आप जाते हो , और आपका क्लास किसी कारणवश छुट जाता है , तो आपको उस दिन के नोट्स को समझने मे काफी समय लगता है , आप अच्छे से सिख नही पाते हो . लेकिन इसमे आप कभी भी किसी भी टाइम पर आप उसको समझ सकते है। .

इसमे आपको बार बार बुक और कोपी पर पैसे लगाने की जरुरत नही पडती है . आप किसी भी बुक को इसके माध्यम से पढ सकते हो।

**ई–शिक्षा से जुडे नुकसान**

जहाँ फायदे होते हैं , वहाँ पर आपका कुछ न कुछ नुकसान होता ही होता है , एसे ही इस शिक्षा पद्धति में भी कुछ नुकसान होते है। इसमे आपके पास हमेसा टाइम होता है कुछ सिखने के लिए , लेकिन किसी भी अनुशासन नाम की चीज यहाँ पर नहीं होती है , किसी भी काम को नियमानुसार करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है , लेकिन आप इसमें किसी भी नियम के अनुसार कुछ नहीं कर पाते यानी की हमेसा उसे समझने से इंकार करते है।

इसमे आपको ऐसा वातावरण नहीं मिल पाता है , जो कि आपको क्लास में मिलता हैं , यानि की फेस टू फेस आपको समझने में और उससे सम्बंधित सवाल करने में आपको अच्छा लगता है और आपको समझ में भी आता है , लेकिन इस ई शिक्षा में ऐसा नहीं होता है।

**आज भले ही जीवन बहुत तेजी से बड़ रहा है परंतु ई–शिक्षा के कारण हमेशा कुछ सीखने की लालसा कायम है , क्योकि एक इंसान मरते दम तक विधार्थी रहता फिर चाहे वह महा ज्ञानी हो या अज्ञानी ।**

**शिव कुमार सिंह,**
**प्रोग्रामर**

# माननीय केन्द्रीय मंत्री, ग्रामीण विकास, पंचायतीराज व कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार द्वारा गवर्नमेंट ई–मार्केट प्लेस (GeM) पोर्टल पर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत ''सरस संग्रह'' का शुभारंभ

**गवर्नमेंट ई–मार्केट प्लेस (GeM) पोर्टल क्या है–**

गवर्नमेंट ई–मार्केट प्लेस (GeM) छोटे से बड़े व्यापारी हेतु अपने उत्पादों को आसानी से खरीद एवं बिक्री के लिए ऑनलाइन बाजार है। यह केन्द्र सरकार के विभागों, राज्य सरकार के विभागों, लोक उपक्रम प्रतिष्ठानों और सम्बद्ध निकायों के लिए है। यह एक अभियान है जिसे सभी प्रकार के विक्रेताओं और सेवा–प्रदाताओं (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों (MSMEs), स्टार्ट–अप, स्वदेशी निर्माता, महिला उद्यमी, स्वयं सहायता समूहों आदि) को सशक्त किये जाने हेतु तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य सरकारी खरीद में अच्छे किस्म के उत्पादों को बढ़ावा देने, पारदर्शिता बढ़ाने, उत्पादों की खरीद–बिक्री में गति लाना है। सरकारी ई–बाजार एक 100% सरकारी कम्पनी है, जिसकी स्थापना केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन की गई है।

वर्तमान में केन्द्र सरकार ने अपने सभी विभागों के लिए इसे अनिवार्य कर दिया है। सभी सरकारी विभाग इस पोर्टल पर registered विक्रेताओं से बिना कोटेशन और बिना टेंडर के सामान खरीद रहे हैं। इस पोर्टल पर केंद्र और राज्य सरकार के सभी विभाग, सार्वजनिक कंपनियाँ और स्वायत्त निकायों के अधिकृत प्रतिनिधि सामानों को खरीद सकते हैं। हालाँकि GeM पर खरीददारी करने के लिए अधिकृत किये गए खरीदारों को अपने विभाग के सेक्शन प्राधिकारी से अनिवार्य अनुमोदन लेना होगा। आर्डर करने पर Vendor निर्धारित समय पर खरीदा गया सामान विभाग तक पहुँचा देंगे।

**गवर्नमेंट ई–मार्केट प्लेस (GeM) का उद्देश्य –**

- व्यवहार परिवर्तन और सुधार को प्रोत्साहित करने के लिए एक एकीकृत खरीद नीति का निर्माण।

- निरंतर नवाचार और बाजार संचालित निर्णय लेने में सक्षम एक मुस्तैद, गतिशील संगठन स्थापित करना।

- खरीद में पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए उपयोग में आसान, पूरी तरह से स्वचालित मंच बनाना।
- सही मूल्य पर, सही गुणवत्ता सुनिश्चित करके महत्व देने की प्रतिबद्धता का प्रदर्शन।
- सभी हितधारकों को सुरक्षित करने और भारत में समावेशी विकास करने के लिए एक स्थाई पारिस्थिति तंत्र बनाना।

**माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास, पंचायतीराज व कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार द्वारा GeM पोर्टल पर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत ''सरस संग्रह'' का शुभारंभ–**

दिनांक 4 मई, 2020 को माननीय श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, केन्द्रीय मंत्री, भारत सरकार, ग्रामीण विकास, पंचायतीराज व कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा गवर्नमेंट ई–मार्केट प्लेस (GeM) पोर्टल पर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह के उत्पादों के लिए विशेष बाजार स्थान ''सरस संग्रह'' का शुभारंभ किया गया। जिससे स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा बनाये गए उत्पाद अब गवर्नमेंट ई–मार्केट प्लेस (GeM) पोर्टल पर उपलब्ध हो सकेंगे।

"सरस संग्रह" ग्रामीण स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाये गए दैनिक उपयोग के उत्पादों को प्रदर्शित करता है और इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) को सरकारी खरीदारों तक पहुंच बनाने के लिए बाजार उपलब्ध कराना है।

**''सरस संग्रह'' के तहत स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) विक्रेता अपने उत्पादों को 5 उत्पाद श्रेणियों में सूचीबद्ध कर सकेंगे –**

1. हस्तशिल्प
2. हथकरधा और वस्त्र
3. कार्यालयों में इस्तेमाल होने वाले सामान
4. किराना और पेंट्री
5. व्यक्तिगत देखभाल और साफ सफाई

''सरस संग्रह'', सरकारी खरीद आदेशों के लिए बाजार पहुंच के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में इस योजना के तहत प्रवर्तित SHGs प्रदान करने के लिए GeM और आजीविका मिशन की एक अनूठी संयुक्त पहल है।

पहले चरण में, 11 राज्यों के 913 एसएचजी पहले से ही विक्रेताओं के रूप में पंजीकृत हैं और 442 उत्पादों की जानकारी पोर्टल पर अपलोड की जा चुकी है।

**जय कुमार श्रीवास्तव,**
**प्रोग्रामर**